

अनुमंडल न्यायालय-असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) बनमनखी, पूर्णिया बिहार

स्वत्व वाद सं.- 22/2016

सुलोचना देवी बनाम सुशीला देवी एवम अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
03/04/24	वादी एवम प्रतिवादी सं.1 से 4 , 6 से 8,11 एवम 12 की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजिरी है। शेष प्रतिवादी की कोड़ पैरवी नहीं है। यह वाद वादी की ओर से आदेश 22 नि.4.9 दिवानी प्रक्रिया संहिता एवम धारा 5 परिसीमा अधि.के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन दिनांक 04/12/23 पर सुनवाई एवम आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त आवेदन को संचालित कर समर्पित किया गया है कि इस वाद के प्रतिवादी सं.3 सुलेखा देवी की मृत्यु दिनांक 29/08/22 को हो गई है जो अपने पिछे अपने पति ज्ञानौ सिंह तीन पुत्री श्रुति कुमारी, गुडिया कुमारी एवम पुसो कुमारी एवम दो पुत्र सन्दीप कुमार एवम सिन्दु कुमार को छोड़ कर मरी हैं। प्रतिवादी सं.3 के मृत्यु की जानकारी वादी को शेष प्रतिवादी गण के द्वारा सुचना दिए जाने पर हुई है तत्पश्चात विना विलम्ब के वादी के द्वारा यह आवेदन दिया गया है अतः निवेदन है की विलम्ब को माफ कर उपशमन को अपास्त कर वाद से प्रतिवादी सं.3 का नाम विलोपित कर उनके विधिक वारिसान को पक्षकार बनाए जाने की कृपा की जाय। प्रतिवादी के द्वारा मौखिक आपत्ति व्यक्त किया गया है। उभय पक्ष पक्ष को सुना। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रतिवादी सं.3 के मृत्यु की सुचना न्याली को दिनांक 04/12/23 को डी गई है जिस कारण से वादी के द्वारा दिया गया विलम्ब का कारण समाधानप्रद प्रतीत होता है। अतः वादी के उक्त तीनों आवेदन को विलम्ब को माफ कर न्यायहित मे स्वीकृत कर उपशमन को अपास्त कर वादपत्र से प्रतिवादी सं.3 नाम विलोपित कर उनके विधिक वारिसान को प्रतिस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाती है। वादी आदेशानुसार वादपत्र को संशोधित करे तत्पश्चात समन सामगी दे। वाद आगामी दिनांक 15/05/24 वास्ते उपस्थिति हेतु नियत लेखापित- असैनिक न्या. (व.को.) बनमनखी पूर्णिया, बिहार	